दिनांक 1 अगस्त 2021 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत 6500 हितग्राहियों को मिला लोन का लाभ

भिलाईनगर। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना अंतर्गत निगम भिलाई क्षेत्र में शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार का लोन प्रदाय करने की योजना का बेहतर क्रियान्वयन भिलाई निगम क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के कुशल मार्गदर्शन में हो रहा है! इस योजना का लाभ अब तक 6500 लोगों ने उठाया है! जिन्हें प्रति वेंडर्स 10000 रुपए का लोन मिल चुका है! वही 5300 हितग्राहियों का प्रकरण बैंक में प्रक्रियाधीन है , 1700 अपात्र की श्रेणी में शामिल है , इस प्रकार कुल 11800 हितग्राहियों ने स्व निधि के तहत अपना पंजीयन कराया था! पंडित दीनदयाल योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि ने बताया कि प्रक्रियाधीन एवं अपात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है! कुल लक्ष्य की अगर बात करें तो 12555 हितग्राहियों को पीएम स्व निधि का लाभ दिलाया जाना है! 11800 हितग्राही पहले से ही पंजीकृत हैं इस तरह से 755 नवीन प्रकरण तैयार किए जाने हैं जिसके लिए आवेदन किया जा सकता है! शहरी पथ विक्रेताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों को अधिकतम सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग कर योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्विगी एवं जोमैटो प्लेटफार्म पर जोड़ने की कार्यवाही भी की जा रही है! योजना के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए निगमायुक्त ने नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरि को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है! उल्लेखनीय है कि शहरी पथ विक्रेता सड़क किनारे पसरा , रेहड़ी या ठेला लगाकर अपना व्यवसाय करते हुए आमजन को रोजमर्रा का सामान उपलब्ध कराते हैं और इसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं! कोविड-19 संक्रमण काल में लॉक डाउन की अवधि में इन शहरी पथ विक्रेताओं का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है! जिन्हें पुनः आत्म निर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है! इसमें ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें अपने व्यवसाय को पुनः व्यवस्थित करने के लिए अधिकतम 10 हजार तक ऋण की आवश्यकता है उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा! अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने का कार्य निगम भिलाई द्वारा किया गया है! सहायक परियोजना अधिकारी फणींद्र बोस ने बताया कि निगम के विभिन्न स्थानों में फॉर्म जमा लेने जमा करने एवं ऑनलाइन एंट्री करने के बाद राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा इसे बैंकों को प्रेषित करने का कार्य किया जा रहा है! यह ऋण केवल 1 साल के लिए है! नियमित पुनरभुगतान करने वाले हितग्राहियों को ब्याज अनुदान के रूप में 7% की छूट दी जाएगी! इस योजना में कोई पूंजीगत

अनुदान नहीं है! स्व निधि से समृद्धि के तहत आयोजित होंगे 2 अगस्त से शिविर, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन स्व निधि से समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य सभागार में शिविर का आयोजन 2 अगस्त से 7 अगस्त तक किया जा रहा है , जिसका समय अपरान्ह 3:00 से 5:00 बजे नियत किया गया है! 2 अगस्त को जोन क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 1 से 13 एवं 16, 17, 18, दिनांक 3 अगस्त 2021 को जोन 2 के वार्ड क्रमांक 14, 15 एवं 19 से 29 तक, दिनांक 4 अगस्त 2021 को जोन क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 30 से 37 तक, दिनांक 5 अगस्त 2021 को जोन क्रमांक 4 के वार्ड 38 से 51 तक, दिनांक 6 अगस्त 2021 को जोन क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 57 से 67 तक तथा दिनांक 7 अगस्त 2021 को जोन क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 52 से 56 तक एवं जोन क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 68 से 70 तक के शहरी पथ विक्रेता स्व निधि से समृद्धि कैंप में शामिल हो सकते हैं! शिविर में श्रम विभाग , जिला अग्रणी बैंक के अधिकारी , सहायक खाद्य अधिकारी एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सीपीएम एवं अन्य मौजूद रहेंगे!